

प्रेषक,

विजय कुमार संखवार,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

नियुक्ति अनुभाग-4

लखनऊ : दिनांक : 09 फरवरी, 2018

विषय:- उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा सिविल जज (जूनियर डिवीजन) परीक्षा, 2016 में चयनित अभ्यर्थियों के शारीरिक परीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन के पत्र संख्या-2/2018/61/दो-4-2018-32(2)/2016, दिनांक 01 फरवरी, 2018 द्वारा उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा में चयनित 218 अभ्यर्थियों के सापेक्ष औपबन्धिक 15 अभ्यर्थियों को छोड़कर 203 अभ्यर्थियों के शारीरिक परीक्षण सम्बन्धी कार्यवाही कराये जाने हेतु निदेशित किया गया है। लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, इलाहाबाद द्वारा औपबन्धन समाप्ति के फलस्वरूप उपलब्ध करायी गयी संस्तुति के आधार पर 12 अभ्यर्थियों का शारीरिक परीक्षण कराया जाना अनिवार्य है।

2- अतः अनुरोध है कि कृपया निम्नलिखित सूची में उल्लिखित 12 अभ्यर्थियों का शारीरिक परीक्षण उ0प्र0 राज्य चिकित्सा परिषद, लखनऊ से करवाने हेतु तिथि-समय, निर्धारित शुल्क, स्थान आदि से अभ्यर्थियों को रजिस्टर्ड पत्र द्वारा अवगत कराते हुए उ0प्र0 राज्य चिकित्सा परिषद की संस्तुति दो सप्ताह के भीतर उपलब्ध कराने के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी, लखनऊ को निर्देशित करने का कष्ट करें। यथावश्यकता विशेष बोर्ड का गठन कर समयान्तर्गत स्वास्थ्य परीक्षण सम्बन्धी कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाय ताकि अभ्यर्थियों की नियुक्ति के सम्बन्ध में शीघ्र अग्रतर कार्यवाही की जा सके :-

क्रमांक	नाम/ पिता/पति का नाम	अनुक्रमांक	स्थायी पता
1.	निकिता गौड़ राम अवध गौड़	012239	ग्राम-बिजौरा, पोस्ट-बिजौरा, जिला-गाजीपुर, उ0प्र0
2.	वकील, योगेन्द्र	026207	ग्राम-कबीरपुर, पोस्ट-गांधीनगर, थाना-करीमुद्दीनपुर, जिला-गाजीपुर, उ0प्र0, पिन-233225
3.	मीनल चावला, सुरेन्द्र कुमार चावला	032777	वार्ड नम्बर-1, सरस्वती विहार, गदरपुर, उधमसिंहनगर, उत्तराखण्ड।
4.	आशालिका पाण्डेय, अरविन्द कुमार पाण्डेय	038571	गोयल सर्विस स्टेशन के पीछे, पूरे पिटई, प्रतापगढ़, उ0प्र0, पिन-230001
5.	योगेश शिवा, प्रेम सिंह यादव	037968	विनोद विहार कालोनी, निकट-पी0डब्ल्यू0डी0, अलीगढ़ रोड, हाथरस
6.	ज्योत्सना मणि यदुवंशी, विनोद कुमार यदुवंशी	033795	38, ग्राम-दरियापुर, पोस्ट आफिस-डाभा, तहसील-कोल, जिला-अलीगढ़
7.	प्रियंका गांधी, श्याम सुन्दर प्रसाद	008301	ग्राम-अरसादपुर, पोस्ट-जंगीपुर, गाजीपुर-233305
8.	अनुप्रिया, अशोक कुमार	016211	जानभारती इण्टर कालेज के पीछे, अवन्तिका नगर, गजरौला, जिला-अमरोहा, उ0प्र0

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

9.	प्रिया यादव, केशव लाल यादव	005881	एल-11, 118, जवाहर विहार कालोनी, रायबरेली, पुलिस स्टेशन, मिल एरिया, 30प्र0
10.	अमन कुमार, चन्द्रेश कुमार	005650	सी-117/41, मोहल्ला-जगरनाथपुर, गोरखपुर, 30प्र0-273001
11.	युगल चन्द्र चौधरी, रामधनी चौधरी	038708	आर0डी0 चौधरी, मकान नम्बर-21, इन्दिरा आवास समिति, कांशीरामनगर, मुरादाबाद, 30प्र0
12.	दिनेश कुमार दिवाकर, स्व0 पुत्तू लाल	004514	ए-1427/20, इन्दिरा नगर, पोस्ट-इन्दिरा नगर, थाना- गाजीपुर, लखनऊ

भवदीय,

(विजय कुमार संखवार)
अनु सचिव

संख्या:- 3/2018/80/दो-4-2018-32(1)/2016, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

विशेष वाहक द्वारा

- 1- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कृपया रजिस्टर्ड पत्र द्वारा उपरोक्त अभ्यर्थियों को 30प्र0 राज्य चिकित्सा परिषद की बैठक की तिथि व निर्धारित शुल्क, समय, स्थान से अवगत कराये तथा चिकित्सा परिषद की कार्यवाही से शासन को दो सप्ताह के भीतर अवगत कराने का कष्ट करें।

रजिस्टर्ड

- 2- सम्बन्धित अभ्यर्थियों को इस मन्तव्य के साथ प्रेषित कि :-
 - (1) वह मुख्य चिकित्सा अधिकारी, लखनऊ से सूचना प्राप्त होने पर निर्धारित शुल्क के साथ 30प्र0 राज्य चिकित्सा परिषद, लखनऊ के समक्ष उपस्थित हों। बिना समुचित कारण के निर्धारित तिथि पर उपस्थित न होने पर उनका नियुक्ति के लिए कोई दावा नहीं रहेगा।
 - (2) उन्हें यह भी सूचित किया जाता है कि उन्हें शारीरिक परीक्षा के लिए बुलाये जाने का आशय यह नहीं है कि उन्हें प्रश्नगत सेवा में नियुक्ति मिल ही जायेगी, क्योंकि उसके लिए उन्हें अन्य बातों में भी योग्य पाया जाना आवश्यक है।
 - (3) राज्य चिकित्सा परिषद के समक्ष उपस्थित होने अथवा वहाँ से वापसी के सम्बन्ध में उन्हें कोई यात्रा भत्ता आदि अनुमन्य नहीं होगा।
- 3- महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
- 4- प्रमुख सचिव, न्याय, 30प्र0 शासन।
- 5- सचिव, 30प्र0 लोक सेवा आयोग, इलाहाबाद।
- 6- अनुभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

(विजय कुमार संखवार)
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

<http://shasanadesh.up.nic.in>

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
 - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।